

उत्तर प्रदेश सरकार
न्याय अनुभाग-8
सं.ए-121/सात-न्याय-8/99-अधि-24/65/98
लखनऊ, दिनांक 31 अगस्त, 1999

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण अधिनियम, 1976 की धारा 3-क और धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल राज्य लोक सेवा अधिकरण में समूह "घ" की कतिपय श्रेणियों के पदों पर भर्ती और ऐसे पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं-

उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा अधिकरण समूह "घ" कर्मचारी सेवा नियमावली, 1999

भाग एक

सामान्य

- | | | |
|---------------------------|----|--|
| संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ | 1- | (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा अधिकरण समूह "घ" कर्मचारी सेवा नियमावली, 1999 कही जायेगी।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। |
| सेवा की प्रास्थिति | 2- | उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा अधिकरण समूह "घ" कर्मचारी सेवा में समूह "घ" के पद समाविष्ट होंगे। |
| परिभाषायें | 3- | जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस बात नियमावली में -
(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य अध्यक्ष, राज्य लोक सेवा अधिकरण से है।
(ख) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग-दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय।
(ग) "संविधान" का तात्पर्य भारत का संविधान से है।
(घ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है।
(ङ.) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है।
(च) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है।
(छ) "नागरिकों" के अन्य विछड़े वर्गों का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम, 1994 की अनुसूचित एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से हैं
(ज) "निबंधक" का तात्पर्य लोक सेवा अधिकरण के निबंधक से है।
(झ) "छंटनी किया गया कर्मचारी" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है-
(एक) जो राज्यपाल की नियम बनाने की शक्ति के अधीन किसी पद पर स्थायी, अस्थायी या स्थानापन्न रूप में कुल एक वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए जिसमें कम से कम तीन मास की सेवा निस्तर सेवा के रूप में होनी चाहिए, नियोजित था।
(दो) जिसे अधिष्ठान में कमी या उसका परिसमापन किये जाने के कारण सेवा से अभिमुक्त किया गया हो या किया जा सकता हो, और |

(तीन) जिसके संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा छटनी किया गया कर्मचारी होने का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो; किन्तु इसके अन्तर्गत केवल तदर्थ आधार पर नियोजित कोई व्यक्ति सम्मिलित नहीं है।

(ज़) "सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा (अधिकरण) समूह "घ" कर्मचारी सेवा से है।

(ट) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी व्यक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गई हो, यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो।

(ठ) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग दो

संवर्ग

सेवा की
सदस्य संख्या

4. (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाये।
- (2) जब तक कि उप-नियम (1) के अधीन सरकार द्वारा परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, सेवा की वर्तमान सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या निम्न प्रकार होगी :-

क्रम.	पद का नाम	पदों की संख्या		
		स्थायी	अस्थायी	योग
1	दफ्तरी	1	1	2
2	साइक्लोस्टाइल आपरेटर	-	1	1
3	जमादार एवं अर्दली	10	3	13
4	संदेशवाहक	02	-	02
5	चपरासी	20	7	27
6	बण्डल लिफ्टर	-	4	4
7	फर्शा	-	2	2
8	चौकीदार	-	2	2
9	पुस्तकालय अटेंडेन्ट	-	1	1
10	सफाई कर्मचारी	-	2	2

परन्तु यह कि नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकार का हकदार न होगा।

परन्तु यह और कि राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं जिन्हें वह उचित समझे।

भाग - तीन

भर्ती

भर्ती का श्रोत

5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती के श्रोत निम्नलिखित होंगे
- (क) चपरासी, संदेश वाहक, चौकीदार, फर्शा, - सीधी भर्ती द्वारा

बण्डल लिफ्टर, पुस्तकालय अटेंडेंट,
सफाई कर्मचारी।

(ख) जमादार-कम-अर्दली

- मौलिक रूप से नियुक्त
चपरासियों में से पदोन्नति
द्वारा।

(ग) दफ्तरी/साइक्लोस्टाइल आपरेटर

- मौलिक रूप से नियुक्त अर्द्ध
चपरासियों सदशवाहकों और
फर्राशों में से, पदोन्नत द्वारा

परन्तु यदि ऐसे किसी विशिष्ट पद पर जिसे पदोन्नति द्वारा भरा जाना अपेक्षित हो
पदोन्नति के लिये पात्र या उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो उस पद को सीधी
भर्ती द्वारा भरा जा सकता है।

आरक्षण

6.

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए
आरक्षण समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से
विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए
आरक्षण) अधिनियम, 1993 और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित
जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 और भर्ती के
समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग चार

अर्हतायें

राष्ट्रीयता

7.

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी -

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से 1
जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास करने
के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगाण्डा
और युनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवर्जन
किया हो।

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए
जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि
वह पुलिस उप महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त
कर ले।

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता
का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी
को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में प्रतिधारण इस शर्त पर रहने दिया जायेगा
कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी - ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक
हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो. किसी
साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से
नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया
जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

आयु	8-	सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी की आयु उस कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को जिसमें रिक्तियां विज्ञापित की जायं 18 वर्ष की हो जानी चाहिए और 32 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।
शैक्षिक अर्हतायें	9-	(क) चपरासी, संदेशवाहक, चौकीदार, फर्ाश, बण्डल लिफ्टर, पुस्तकालय अटेन्डेन्ट, दफ्तरी और साइक्लोस्टाइल आपरेटर के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी आठवीं कक्षा अवश्य उत्तीर्ण होना चाहिए। (ख) किसी अन्य श्रेणी के पद के लिए कोई शैक्षिक अर्हता अपेक्षित नहीं है किन्तु उस व्यक्ति को अधिमान दिया जायेगा जो शिक्षित हो या कम से कम देवनागरी लिपि में हिन्दी लिख और पढ़ सकता हो। (ग) कोई व्यक्ति दफ्तरी के रूप में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा जब तक उसे जिल्दसाजी के कार्य का अपेक्षित ज्ञान और अच्छा अनुभव न हो। (घ) कोई व्यक्ति साइक्लोस्टाइल आपरेटर के रूप में या किसी अन्य पद पर जिसके लिये तकनीकी ज्ञान अपेक्षित हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा जब तक कि उसे अपेक्षित तकनीकी ज्ञान और विशिष्ट कार्य के सम्बन्ध में अच्छा अनुभव न हो। (ङ.) सेवा में प्रत्येक श्रेणी के पद पर भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी साईकिल चलाना जानता हो:- परन्तु यह शर्त महिला अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होगी। (च) अन्य बलों के समान होने पर, सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में अधिमान दिया जायेगा जिसने प्रादेशिक सेवा में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो।
चरित्र	10-	सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा। टिप्पणी :- संघ सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार से स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।
वैवाहिक प्रास्थिति	11-	सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों, या ऐसी कोई महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो:- परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है. यदि उसका समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान है।

- शारीरिक स्वस्थता 12. किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह फाईनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये फण्डामेंटल रूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।
- परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग-पाँच
भर्ती की प्रक्रिया

- रिक्तियों की अवधारणा 13. (1) नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा।

- (2) नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित रीति से रिक्तियाँ अधिसूचित करेगा :-
(क) व्यापक परिचालन वाले दैनिक समाचार-पत्रों में विज्ञापन जारी करके,
(ख) कार्यालय के सूचना पट पर नोटिस चिपकाकर या रेडियो टेलीविजन और अन्य रोजगार समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापित करके, और
(ग) सेवायोजन कार्यालय को रिक्तियाँ अधिसूचित करके।

- सीधी भर्ती की प्रक्रिया 14. सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिए एक चयन समिति गठित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकरण का कोई सदस्य ...अध्यक्ष

(दो) यदि यथास्थिति नियुक्ति प्राधिकारी या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट सदस्य या निबंधक, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई अधिकारी जो अधिकरण या किसी सरकारी विभाग में समूह "क" का पद धारण करता हो। यदि यथास्थिति नियुक्ति प्राधिकारी या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट सदस्य या निबंधक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों से भिन्न कोई अधिकारी जो अधिकरण या किसी सरकारी विभाग में समूह "क" का पद धारण करता हो, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा। ... सदस्य

(तीन) यदि यथास्थिति नियुक्ति प्राधिकारी या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई सदस्य या निबंधक अन्य पिछड़े वर्गों का न हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट अन्य पिछड़े वर्गों का कोई अधिकारी। यदि यथास्थिति नियुक्ति प्राधिकारी या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट सदस्य या निबंधक अन्य पिछड़े

वर्गों का हो तो अन्य पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से भिन्न कोई अधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।

सदस्य

(चार) निबंधक, राज्य लोक सेवा अधिकरण।

... सदस्य

(दो) चयन समिति आवेदन-पत्रों की संवीक्षा करेगी और पात्र अभ्यर्थियों को अपने समक्ष साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने की अपेक्षा करेगी। साक्षात्कार के लिए कुल 50 अंक होंगे।

(तीन) चयन समिति छंटनीशुदा कर्मचारी को निम्नलिखित रीति से अंक प्रदान करते हुए अधिमान देगी :-

(क) सेवा के प्रथम पूर्ण वर्ष के लिए

... 5 अंक

(ख) सेवा के अगले प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए

... 5 अंक

11. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से

परन्तु किसी छंटनीशुदा कर्मचारी को इस उपनियम के अधीन दिये जाने वाले अधिकतम अंक 15 से अधिक नहीं होंगे।

(चार) चयन समिति साक्षात्कार में प्रदान किये गये अंकों के अनुसार योग्यता क्रम में अभ्यर्थियों के नामों की सूची में व्यवस्थित करेगी। चयन सूची में विभिन्न श्रेणियों के लिए अभ्यर्थियों की संख्या ऐसी रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अनधिक) होगी जिसके लिए चयन किया गया है।

पदोन्नति
द्वारा भर्ती
की प्रक्रिया

15. (1) पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिए) नियमावली, 1992 के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी।

टिप्पणी :- चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए नाम निर्देशन उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 7 के अधीन दिये गये आदेश के अनुसार किया जायेगा।

(2) निबंधक, अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियां समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायें, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उप नियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में, जैसी उस संवर्ग में हो, जिससे उनकी पदोन्नति की जानी हो, एक सूची तैयार करेगी। और उते नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

संयुक्त चयन सूची 16. यदि किसी भर्ती के वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाये, तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूचियों से लेकर इस रीति से रखे जायेंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग छः

नियुक्ति, परीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति 17. (1) उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वह यथास्थिति नियम 14, 15 या 16 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियाँ करेगा।
(2) जहाँ भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जायें, वहाँ नियमित नियुक्तियाँ तब तक नहीं की जायेंगी जब तक दोनों श्रोतों से चयन न कर लिया जाये और नियम 16 के अनुसार एक संयुक्त सूची न तैयार कर ली जाय।

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख उस ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसा कि यथास्थिति चयन में अवधारित किया जाय या जैसा कि उस संवर्ग में हो जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाय। यदि नियुक्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाय तो नाम नियम-16 में निर्दिष्ट क्रम के अनुसार व्यवस्थित किये जायेंगे।

परीक्षा 18. (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर किसी व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परीक्षा अवधि को बढ़ाया जा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय।

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

(3) यदि परीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) ऐसा परीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उप-नियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जाय, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण 19. (1) सेवा में नियुक्त किसी व्यक्ति पर उत्तर राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

(2) उप-नियम (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी परीक्षाधीन व्यक्ति को परीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में

स्थायी कर दिया जायेगा, यदि -

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय: और

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय।

(3) जहाँ उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहां उस नियमावली के नियम-5 के उप-नियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

ज्येष्ठता 20. सेवा में किसी श्रेणी के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार की जायेगी।

भाग सात

वेतन इत्यादि

वेतनमान 21. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।
(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय का वेतनमान निम्नवत् है :-

	पद का नाम	वेतनमान
1	चपरासी, संदेश वाहक, चौकीदार, फर्ाश, सफाई कर्मचारी, बंडल लिफ्टर, पुस्तकालय अटेन्डेन्ट	2550-55-2660-60-3200 रुपये
2	जमादार कम अर्दली	2610-60-3150-65-3540 रुपये
3	दफ्तरी, साइक्लोस्टाईल आपरेटर	2610-60-3150-65-3540 रुपये

परिवीक्षा अवधि में 22. फण्डामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और जहाँ विहित हो, प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो।
(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा था, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेंटल रूल्स द्वारा विनियमित होगा।
(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्य-कलाप के सम्बन्ध में, सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

दक्षता रोक पार करने का मापदण्ड 23. किसी व्यक्ति को दक्षता रोक पार करने की अनुमति नहीं दी जायेगी, जब तक कि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

भाग - आठ

अन्य उपबन्ध

- पक्ष समर्थन 24. किसी पद पर या सेवा लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर, चाहे लिखित हों या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थियों के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।
- अन्य विषयों 25. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्य-कलापों के सम्बन्ध में, सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यता लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।
- सेवा की शर्तों 26. जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा में शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा, उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन होते हुए, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकता है।
- व्यावृत्ति 27. इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से.
प्रमुख सचिव ।